रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230418
CG-DL-E-14102021-230418

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943**
No. 309] **NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

मामला सं. एडी-एमटीआर-11/2021

विषय : चीन जन.गण., वियतनाम तथा कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों'' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में कोरिया गणराज्य से उत्पादक/निर्यातक के नाम में परिवर्तन के लिए सीमित मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत ।

फा. सं. 7/30/2021-डीजीटीआर.—मध्यावधि समीक्षा का एक आवेदन मै. के जी डोंगबू स्टील कं. लि., कोरिया गणराज्य (जिन्हें यहां आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) द्वारा दायर किया गया है जिसमें चीन जन.गण., वियतनाम तथा कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों'' (जिन्हें यहां आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने वाले 21 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम में नाम में परिवर्तन का अनुरोध किया गया है । आवेदक विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक/निर्यातक है और यह कंपनी कोरिया गणराज्य में अधिनिगमित है । आवेदक ने दावा किया है कि उन्हें पूर्व में डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य से उत्पादक/निर्यातक के रूप में जाना जाता था, जिसने मूल जांच में भाग लिया था ।

क. पृष्ठभूमि

1. 1995 और उसके पश्चात यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान तथा उन पर

पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण., वियतनाम तथा कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों" के आयातों पर निश्यात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने वाली अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर के माध्यम से अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे।

2. केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क अधिसूचना स. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 23 जून, 2020 के माध्यम से संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्यात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

3. वर्तमान मामले में अनंतिम शुल्क सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 40/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 के माध्यम से लगाया गया था और अंति□म शुल्क दिनांक 23 जून, 2020 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था।

4. डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड ने उक्त जांच में भाग लिया और उसे डंपिंग रोधी शुल्क की अलग दर प्रदान की गई। इसके बाद, 22.06.2020 को केजी डोंगबू स्टील कं. लि. ने के जी स्टील कं. लि. द्वारा निवेश के बाद डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड से केजी डोंगबू स्टील कं. लि. को उपरोक्त सीमा शुल्क अधिसूचना में निर्माता के नाम बदलने के लिए एक आवेदन दायर किया था। डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड में, और इक्विटी शेयरों के आवंटन के परिणामस्वरूप इसकी शेयरधारिता संरचना में परिवर्तन हुआ

5. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर मामला सं. एडी-एमटीआर-11/2020 दिनांक 15 सितंबर, 2020 के माध्यम से नाम में परिवर्तन के लिए सीमित मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत की थी।

6. उक्त मध्यावधि समीक्षा में आयोजित मौखिक सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तकनीकी आपत्ति दर्ज कराई कि व्यापार सूचना सं. 1/2010 दिनांक 17 मई, 2010 के अनुपालन में प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से "कम से कम एक वर्ष" की समाप्ति के पश्चात भी मध्यावधि समीक्षा शुरू की जा सकती है।

7. पूर्वोक्त के मद्देनजर आवेदक ने प्राधिकारी से दिनांक15 सितंबर, 2020 को नाम में परिवर्तन के लिए शुरू की गई सीमित मध्यावधि समीक्षा को समाप्त करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार प्राधिकारी द्वारा दिनांक 06 सितंबर, 2021 के जांच समाप्ति आदेश के माध्यम से उक्त जांच समाप्त की गई थी।

ख. विचाराधीन उत्पाद

8. उक्त जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जन.गण वियतनाम तथा कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्युमीनियम तथा जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद" थे। आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पूर्ववर्ती जांचों अर्थात अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर दिनांक 21 फरवरी, 2020 के माध्यम से जारी अंति□म जांच परिणाम के समान रहेगा जिसमें पीयूसी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था -

"स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद जो एल्युमीनियम और जिंक के अलॉय से प्लेटेड या कोटेड हों। एल्युमिनियम या जिंक के इस अलॉय में एक या उससे अधिक अतिरिक्त तत्व हो सकते हैं जो अलग-अलग या संयुक्त रूप से भार के रूप में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद कॉयल रूप में या कॉयल रूप में नहीं हो सकता है चाहे प्लेन, नालीदार या प्रोफाइल्ड रूप में हो अथवा नहीं। पीयूसी टेंपर मिल पर स्किन पास्ड/ प्रसंस्कृत या गैर-स्क्रि पास्ड हो सकता है चाहे अतिरिक्त गैर धात्विक कोटिंग सहित या उसके बिना सरफेस उपचारित हो अथवा नहीं। पीयूसी को विभिन्न व्यापारिक नामों से आपूर्ति किया जा सकता है जिसमें एलु-जिंक, एएल-जैडएन, जिंक-एल्युमीनियम, एल्युमीनियम-जिंक, जिंककैलूम, गल्वालूम आदि शामिल हैं परंतु इन तक सीमित नहीं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि पीयूसी में जंग प्रतिरोध होता है और इसे विभिन्न अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, जिनमें अवसंरचना परियोजनाएं, सौर विद्युत परियोजनाएं, रूफिंग वालिंग डेकिंग क्लैडिंग और फ्रेमिंग, व्हाइट गुड्स

और उपकरण, कलर कोटेड स्टील के लिए फर्नीचर और सबस्ट्रेड शामिल हैं परंतु इन तक सीमित नहीं हैं। पीयूसी में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं :-

i. अतिरिक्त एल्युमीनियम के बिना जिंक से कोटेड फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद;

ii. अतिरिक्त जिंक के बिना एल्युमीनियम से कोटेड फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद;

iii. प्री पेंटेड अथवा कलर कोटेड एल्युमीनियम जिंक अलॉय कोटेड स्टील शीटें (प्री कोटेड एस जी एल शीटें)

9. इस मध्यावधि समीक्षा के लिए विचाराधीन उत्पाद अपरिवर्तित रहेगा।

ग. शामिल देश

10. वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल देश कोरिया गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) है।

घ. समीक्षा के लिए आधार

11. केजी डोंगबू स्टील कं. लि. ने मध्यावधि समीक्षा हेतु आवेदन एक दायर किया है जिसमें बताया गया है कि कंपनी ने केजी स्टील, जो केजी समूह का एक सदस्य है, *के पक्ष में* 39.98 प्रतिशत इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जिसके पास अब आवेदक के प्रमुख शेयरधारक के रूप में आवेदक के 39.98 प्रतिशत शेयर हैं। इस आवंटन के परिणामस्वरूप कंपनी का नाम बदलकर केजी डोंगबू स्टील कं. लि. हो गया है। यह दावा किया गया है कि मूल कंपनी का नाम 2 अप्रैल, *2020* को केजी डोंगबू स्टील कं. लि. से बदलकर डोंगबू स्टील कं. लि. हो गया है। उन्होंने आगे दावा किया है कि उपरोक्त परिवर्तनों के मद्देनजर, उनके सभी निर्यात केजी डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम पर होंगे, और तदनुसार, डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड पर लागू एंटी-डंपिंग शुल्क की अलग दर केजी डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड पर लागू होनी चाहिए |

ड. जांच शुरूआत

12. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, और इसके अंतर्गत बनाई गई पाटनरोधी नियमावली में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए समय-समय पर समीक्षा करना प्राधिकारी के लिए अपेक्षित है।

13. आवेदक द्वारा कोरिया गणराज्य से उत्पादक/निर्यात के नाम में परिवर्तन के लिए सीमित मध्यावधि समीक्षा को आवश्यक बनाने वाली परिवर्तित परिस्थितियों को दर्शाते हुए प्रदत्त सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर दिनांक 21 फरवरी, *2020* के माध्यम से अनुशंसित अंतिम जांच परिणाम और संबंधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, *1995* की धारा 9क(क) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 23 जून, *2020* की सीमाशुल्क अधिसूचना स. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लागू निश्यात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत करना उचित समझते हैं।

14. वर्तमान समीक्षा दिनांक 21 फरवरी, *2020* की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर और दिनांक 23 जून, *2020* की सीमाशुल्क अधिसूचना स. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) के संबंध में केजी डोंगबू स्टील कं. लि. द्वारा दावा किए गए नाम परिवर्तन के पहलू तक सीमित है।

च. जांच की अवधि

15. चूंकि वर्तमान समीक्षा जांच केवल नाम में परिवर्तन तक सीमित है, इसलिए प्राधिकारी समझते हैं कि जांच की अवधि प्रासंगिक नहीं है।

छ. प्रक्रिया

16. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

17 कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd12-dgtr@gov.in तथा ad12-dgtr@gov.in, उसकी प्रति adg13-dgtr@.gov.in और advl2-dgtr@gov.in.को भेजने के साथ , पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जाने चाहिए।

18. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

21. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात https://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

झ. समय सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd12-dgtr@gov.in तथा ad12-dgtr@gov.in, उसकी प्रति adg13-dgtr@.gov.in और advl2-dgtr@gov.in.पर भेजने के साथ ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाये कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाली सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनियक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

ञ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में गोपनीयता के दावे के मामले में 2 अलग-अलग सैट प्रस्तुत अपेक्षित है ।

क. गोपनीय रूप में अंकित पहला सैट (शीर्षक, पृष्ट सं., सूची आदि सहित)

ख. अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, पृष्ट सं., सूची आदि सहित) ।

26. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

28. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

29. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

30. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

31. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. नियम 6 (7) या नियमावली के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रोनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखने के तौर-तरीको को तैयार किया जा रहा है ।

ठ. असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलबध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

Case No. AD-MTR-11/2021

Subject : Initiation of Mid-Term Review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP in the anti-dumping investigation concerning imports of "Aluminium and Zinc coated flat products" originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP.

F. No. 7/30/2021-DGTR.—A Mid-Term Review application has been filed by M/s KG Dongbu Steel Co., Ltd., Korea RP (hereinafter also referred to as "Applicant") for change in name of the producer from Korea RP in the Final Findings issued by Designated Authority vide Notification No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020 recommending definitive anti- dumping duty on the imports of Aluminium and Zinc coated flat products (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP. The Applicant is a Producer/ Exporter of the product under consideration and the company is incorporated in the Republic of Korea. The Applicant has claimed that they were formerly known as Dongbu Steel Co., Ltd, producer/exporter from Korea RP that participated in the original investigation.

A. Background

1. In accordance with Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules"), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had issued its final findings vide Notification No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020 recommending definitive anti- dumping duty on the imports of "Aluminium and Zinc coated flat products" originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP.

2. The Central Government, vide Customs Notification No. 16/2020-Customs (ADD) dated June 23, 2020, had imposed definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

3. In the instant case, the provisional duty was imposed vide Customs Notification No. 40/2019-Customs (ADD) dated 15 October 2019 and the final duty was imposed vide Customs Notification No. 16/2020-Customs (ADD) dated 23 June 2020.

4. Dongbu Steel Co. Ltd. participated in the said investigation and was granted separate rate of Anti-dumping duty. Thereafter, on 22.06.2020 KG Dongbu Steel Co. Ltd. had filed an Application for Change of Name of the producer in the aforementioned Customs Notifications from Dongbu Steel Co. Ltd. to KG Dongbu Steel Co. Ltd., following investment by KG Steel in Dongbu Steel Co. Ltd., and allotment of equity shares resulting in change of its shareholding structure .

5. The Authority, on the basis of a duly substantiated application filed by the Applicant in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, initiated the mid-term review limited to change of name vide Case No. AD-MTR-11/2020 dated 15th September 2020.

6. During the course of the oral hearing conducted in the said mid-term review, the domestic industry, inter alia, raised the technical objection that a mid-term review can be initiated by this Authority only after the lapse of "at least one year" from the imposition of definitive anti-dumping duty by the Central Government pursuant to the Trade Notice No. 1/2010 dated 17 May 2010.

7. In view of the aforesaid, the Applicant requested the Authority to terminate the mid-term review limited to change of name which was initiated on 15th September 2020. Accordingly, the said investigation was terminated by the Authority, vide Termination Order dated 06 September 2021.

B. Product under consideration

8. The product under consideration (PUC) in the said investigation was "Aluminium and Zinc coated flat products" originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP. The product under consideration in the application is the same as the previous investigations i.e. final findings issued vide Notification No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020, which defined PUC as follows-

"*Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc. This alloy of Aluminium and Zinc may contain one or more additional elements which in individual or in combination shall not exceed 3% by weight.*

Further, the product under consideration may be in coil form or not in coil form whether or not plain, corrugated or in profiled form. PUC may be skin-passed / processed on tempermill or non-skin-passed whether or not surface treated with or without additional nonmetallic coating. PUC may be supplied in various trade names including but not limited to Alu-Zinc, Al-Zn, Zinc Aluminium, Aluminium Zinc, Zincalume, Galvalume etc. It is also noted that PUC offers resistance to corrosion and is used in many applications and sectors including but not limited to infrastructure projects, solar power projects, roofing, walling decking, cladding and framing, white goods and appliances, furniture and substrate for colour coated steel. PUC does not include the following products: -

i. Flat rolled steel products coated with Zinc without addition of Aluminium;

ii. Flat rolled steel products coated with Aluminium without addition of Zinc;

iii. Pre-painted or colour coated Aluminum Zinc alloy coated steel sheets (Pre-coated SGL sheets)."

9. The product under consideration for this mid-term review remains unchanged.

C. Country Involved

10. The country involved in the present review investigation is Korea RP (also referred to as subject country).

D. Grounds for Review

11. KG Dongbu Steel Co., Ltd. has filed a Mid-Term Review application stating that the company issued 39.98% equity shares in favour of KG Steel, a member of the KG Group, which now holds 39.98% shares of the Applicant as the major shareholder of the Applicant. Consequent to this allotment, the name of the company was changed to KG Dongbu Steel Co. Ltd. It has been claimed that the original company name has changed on 02 April 2020 from KG Dongbu Steel Co. Ltd. to Dongbu Steel Co. Ltd. They have further claimed that in view of the above changes, all their exports will be in the name of KG Dongbu Steel Co. Ltd., and accordingly, the separate rate of Anti-dumping duty applicable on Dongbu Steel Co. Ltd. must be made applicable to KG Dongbu Steel Co. Ltd.

E. Initiation

12. The Customs Tariff Act, and the Anti-dumping Rules made thereunder, requires the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duties.

13. Having regard to the information provided by the applicant indicating changed circumstances necessitating a mid-term review, limited to change of name of producer/exporter from Korea RP, the Designated Authority considers it appropriate to initiate a Mid Term Review of the Final Findings recommended vide Notification No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020 and the definitive anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No. 16/2020-Customs (ADD) dated June 23, 2020, in terms of the provisions of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the anti-dumping Rules *supra*.

14. The present review is limited to the aspect of name change claimed by KG Dongbu Steel Co. Ltd. with regard to the Final Findings Notification No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020 and Customs Notification No. 16/2020-Customs (ADD) dated June 23, 2020.

F. Period of Investigation

15. Since the present review investigation is restricted to only change of name, the Authority considers that the period of investigation is not relevant.

G. Procedure

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

H. Submission of Information

17. ln view of the special circumstances arising out of this COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses, dd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@.gov.in and advl2-dgtr@gov.in.

18. The known producers/exporters in the subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties

21. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority https://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

I. Time Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses to dd12-dgtr@gov.in, and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@.gov.in, and advl2-dgtr@gov.in within from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti- Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

J. Submission of information on confidential basis

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

a. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

b. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

26. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of Public File

32. In terms of Rule 6(7) or the Rules, any interested party may inspect the public tile containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining the public file in electronic mode is being worked out.

L. Non-cooperation

33. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non- cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.10.14 22:19:19 +05'30'